कार्यालय

स्टेट आयुष मिशन सोसाइटी, उत्तराखण्ड,

पो0ओ0 गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248001, उत्तराखण्ड।

E mail- nam@uttarakhandayurved.co.in

निविदा शुल्क रू0 5000.00

ई–निविदा सूचना

I. निविदा जारी किये जाने सम्बन्धी विवरण–

1	निविदा संख्या :– 143 / जी–328 / 2022	दिनांक–29.8.2025
2	निविदा वेबसाइट uktenders.gov.in पर उपलब्ध होने की तिथि	दिनांक 29.08.2025 से दिनांक 15.09.2025 साय 5:00 बजे तक
3	बिड सबमिशन प्रारम्भ	दिनांक 06.09.2025
4	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	दिनांक : 16.09.2025 को प्रातः12:00 बजे
5	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी निविदा के पश्चात निर्धारित की जायेगी
6	तकनीकी बिड खोलने का स्थान–	कार्यालय– स्टेट आयुष मिशन सोसायटी, देहरादून उत्तराखण्ड
7	प्रि–बिड मिटिंग की तिथि एवं समय	03.09.2025 सायं 3:00 बजे
8	प्रि–बिड मिटिंग का स्थान	कार्यालय– स्टेट आयुष मिशन सोसायटी, देहरादून उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

II. प्रयोजन एवं उद्देश्य–

स्टेट आयुष मिशन सोसाइटी, के अन्तर्गत समय–समय पर आयुष कार्यालयों, चिकित्सालयों एवं हैल्थ एवं वेलनेस केन्द्रों में तैनात चिकित्साधिकारियों/सी0एच0ओ0/फार्मासिस्ट/अन्य कार्यालय कार्मिकों के 30–50 प्रशिक्षणार्थियों के बैच में आवासीय प्रशिक्षण एवं एक दिवसीय विभागीय कार्यक्रम कराये जाने होते हैं। जिस हेतु होटल/रिजोर्ट आदि की आवश्यकता होती है, जिसमें अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था की जा सके, प्रतिभागियों के भोजन की व्यवस्था की जा सके तथा होटल/रिजॉर्ट के हॉल में कार्यक्रम संपादित कराये जा सके। उक्त कार्यक्रम देहरादून शहर के होटल/रिजोर्ट में किया जाना प्रस्तावित है। निविदा की विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्तो के अनुसार विभागीय कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जिसमें साज सज्जायुक्त कान्फ्रेंस हॉल, प्रशिक्षण/कार्यक्रम के दौरान 30–70 कार्मिको के प्रतिभाग, ठहरने, भोजन, कार्यक्रम की विडियो रिर्काडिंग, ऑडियो–वीडियो आदि व्यवस्था किये जाने हेतु इच्छुक होटल/रिजोर्ट के मालिकों/संचालकों से निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा में निम्न दरें उपलब्ध करायी जायेंगी–

1.1 आवासीय कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों के ठहरने हेतु प्रति कक्ष की दर

1.2 आवासीय कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों हेतु प्रति व्यक्ति ब्रेकफॉस्ट की दर

1.3 आवासीय कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों हेतु प्रति व्यक्ति लंच की दर

1.4 आवासीय कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों हेतु प्रति व्यक्ति डिनर की दर

2.1 एक दिवसीय कार्यक्रमों के दौरान विशिष्ट अतिथियों के ठहरने हेतु प्रति कक्ष की दर (ब्रेकफॉस्ट सहित)

2.2 एक दिवसीय कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों हेतु प्रति व्यक्ति लंच की दर

2.3 एक दिवसीय कार्यक्रमों के दौरान कान्फ्रेन्स हॉल की प्रति दिवस दर

Scanned with OKEN Scanner

II. कार्य का विवरण

1.	विभागीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विभागीय एक दिवसीय (Non residencial) कार्यक्रमों हेतु /विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु प्रतिभागियों के भोजन, ठहरने हेतु कक्ष व कार्यक्रम हेतु कान्फ्रेन्स हॉल उपलब्ध कराना।

1. प्रतिभागियों के ठहरने हेतु कक्षों की व्यवस्था किया जाना।

1.1 होटल / रिजॉर्ट में प्रतिभागियों के ठहरने हेतु न्यूनतम 35 कक्ष उपलब्ध होने चाहिए, जिसमें प्रतिभागी Single Occupancy/Twin shairing आधार पर ठहरेंगे।

1.2 प्रत्येक कक्ष में निम्न सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलब्ध होंगी–

1.2.1 ए0सी0 / हीटिंग की सुविधा हो

1.2.2 24 घण्टे बिजली व गर्म एवं ठण्डे पानी की उपलब्धता हो

1.2.3 प्रत्येक कक्ष में मिनरल वॉटर की उपलब्धता हो

1.2.4 होटल / रिजोर्ट के प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रिक केटल व आयरन की उपलब्धता हो।

1.2.5 होटल / रिजोर्ट के प्रत्येक कक्ष में न्यूनतम 20 MBps स्पीड युक्त 24 घण्टे वाई–फाईनेटवर्क उपलब्ध हो

1.2.6 होटल / रिजोर्ट के प्रत्येक कक्ष में 24 घण्टे रूम सर्विस उपलब्ध हो तथा महिला प्रतिभागियों के सहायतार्थ रिसेप्शन में महिला स्टॉफ की भी उपलब्धता हो।

1.2.7 होटल / रिजोर्ट के कक्ष में रूकने वाले प्रत्येक प्रतिभागी हेतु टॉयलेटरीज, टी / कॉफी किट आदि होटल / रिजोर्ट द्वारा नियमित रूप से प्रदान की जायेगी।

1.2.8 होटल / रिजोर्ट के प्रत्येक कक्ष में ऑफिस टेबल व रिवॉल्विंग चेयर की उपलब्धता आवश्यकतानुसार करायी जायेगी।

1.3 होटल / रिजोर्ट द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि विभागीय कार्यक्रमों के दौरान होटल / रिजॉर्ट में किसी अन्य ऐसी गतिविधि का आयोजन नहीं किया जा रहा है कि जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम / विभागीय कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो।

1.4 होटल / रिजोर्ट द्वारा प्रतिभागियों को उनके चैक–इन समय से 24 घण्टे का चैक–आउट टाईम उपलब्ध कराया जायेगा।

1.5 होटल / रिजोर्ट के कक्षों के निकट ही प्रतिभागियों के सामूहिक भोजन हेतु ए0सी0 युक्त डायनिंग हॉल की व्यवस्था हो।

होटल द्वारा आरक्षित कक्षों में ठहरे विशिष्ट अतिथियों को निःशुल्क ब्रेकफॉस्ट बुफे उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6 होटल / रिजोर्ट के प्रत्येक फ्लोर में सेनेटाईजर मशीन व वॉटर डिस्पेन्सर की व्यवस्था हो।

1.7 होटल / रिजॉर्ट के प्रत्येक कक्ष की बेडशीट / टॉवल आदि कन्ज्यूमेबल्स प्रतिदिन बदले जायेंगे व परिसर की प्रति दिवस साफ सफाई की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

1.8 होटल/रिजोर्ट परिसर में न्यूनतम 40 चारपहिया वाहनों की पार्किंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो।

1.9 एक दिवसीय कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे विशिष्ट अतिथियों हेतु होटल में आरक्षित कक्षों में ठहरे विशिष्ट अतिथियों को निःशुल्क ब्रेकफॉस्ट बुफे उपलब्ध कराया जायेगा।

2. आवासीय कार्यक्रम हेतु प्रतिभागियों के भोजन की व्यवस्था किया जाना–

2.1 होटल/रिजोर्ट के परिसर में ही प्रतिभागियों के भोजन हेतु डायनिंग हॉल अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम 80 प्रतिभागी एक साथ भोजन कर सकें।

2.2 डायनिंग हॉल ए0सी/हीटिंग सुविधायुक्त होना चाहिए।

2.3 डायनिंग हॉल में ही महिला व पुरूष प्रतिभागियों हेतु पृथक टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए साथ ही प्रतिभागियों हेतु वॉश बेसिन की व्यवस्था होनी चाहिए।

2.4 होटल/रिजॉर्ट द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि डायनिंग हॉल में पर्याप्त संख्या में (प्रति 30 प्रतिभागियों हेतु 01) बुफे काउंटर लगाये गये हैं व भोजन की ससमय आपूर्ति की जा रही है।

2.5 विशिष्टि अतिथियों के बैठने हेतु डायनिंग हॉल में पृथक से व्यवस्था हो।

2.6 होटल/रिजॉर्ट द्वारा पर्याप्त संख्या में सर्विंग स्टॉफ उपलब्ध कराया जायेगा (प्रत्येक 30 प्रतिभागियों हेतु 03 व्यक्ति)

2.7 होटल/रिजॉर्ट में रात्रि निवास कर रहे प्रतिभागियों को प्रातःकालीन चाय अथवा कॉफी अथवा नींबू पानी निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

2.8 होटल/रिजॉर्ट द्वारा ब्रेकफॉस्ट, लंच व डिनर हेतु निम्न मैन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जायेगा–

ब्रेकफॉस्ट	लंच	डिनर
• चाय, कॉफी एवं मट्ठा • ब्रेड, अमूल बटर एवं जैम • दलिया अथवा मुसली (दूध सहित) • उपमा • सैंडविच अथवा पोहा, • दलिया अथवा उपमा, • उबले अण्डे/ आमलेट, दही पराठा (आलू/प्याज) अथवा आलू पूरी	• एक सीजनल सब्जी, • राजमा अथवा छोले अथवा भटट की चुडकानी अथवा कढी पकोडा • दालफाई, • जीरा राइस अथवा पुलाव • तवा रोटी एवं तन्दूरी रोटी • सलाद, अचार • मूंग की दाल का हलवा अथवा सूजी हलवा अथवा खीर अथवा ईमरती • पाईन एप्पल रायता अथवा बूदी रायता अथवा खीरा रायता	• एक उत्तराखण्ड का व्यंजन • एक पनीर का व्यंजन • कढी पकोडा अथवा मलाई कोफ्ता अथवा दम आलू कश्मीरी • जीरा राइस अथवा पुलाव • तवा रोटी एवं तन्दूरी रोटी एवं मिस्सी रोटी • सलाद, अचार • गुलाब जामुन अथवा आईसक्रीम अथवा कस्टर्ड अथवा अन्य स्वीट डिश • पाईन एप्पल रायता अथवा बूदी रायता अथवा खीरा रायता

2.9 उक्त व्यंजनों को परोसने हेतु किसी भी प्लास्टिक की कटलरी/प्लेट/दोने आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2.10 होटल/रिजॉर्ट के पास खाने की सेवाओं हेतु fssai के प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

2.11 **एकदिवसीय कार्यक्रमों (Non residencial) हेतु होटल/रिजॉर्ट द्वारा लंच निम्न मैन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जायेगा–**

- एक उत्तराखण्ड का व्यंजन
- राजमा अथवा छोले अथवा कढ़ी पकोड़ा
- दालफ्राई,
- जीरा राइस अथवा पुलाव
- तवा रोटी एवं तन्दूरी रोटी
- सलाद, अचार
- मूंग की दाल का हलवा अथवा सूजी हलवा अथवा खीर अथवा ईमरती
- पाईन एप्पल रायता अथवा बूंदी रायता अथवा खीरा रायता

3. **एकदिवसीय कार्यक्रमों (Non residencial) हेतु होटल/रिजोर्ट परिसर में कान्फ्रेंस हॉल की व्यवस्था–**

3.1 होटल/रिजोर्ट के परिसर में ही 50–100 प्रतिभागियों के कार्यक्रम हेतु कान्फ्रेन्स हॉल उपलब्ध होना चाहिए।

3.2 होटल/रिजोर्ट के कान्फ्रेंस हॉल में निम्न सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेंगी–

3.2.1 कान्फ्रेंस हॉल में ए0सी/हीटिंग की सुविधा उपलब्ध हो।

3.2.2 कान्फ्रेंस हॉल में 24 घण्टे पॉवर सप्लाई उपलब्ध रहेगी।

3.2.3 कान्फ्रेंस हॉल में प्रतिभागियों के लैपटॉप आदि चार्ज किये जाने हेतु प्रतिभागियों के संख्या के अनुरूप सॉकेट उपलब्ध रहेंगे।

3.2.4 कान्फ्रेंस हॉल में 50–100 प्रतिभागियों के बैठने हेतु कुशन्ड चेयर तथा टेबल की उपलब्धता होगी।

3.2.5 कान्फ्रेंस हॉल में 7–8 व्यक्तियों के बैठने हेतु मंच की उपलब्धता होगी।

3.2.6 कान्फ्रेंस हॉल में मंच की साज सज्जा, बैक ड्राप, फिक्सड माइक तथा विभागीय ब्राडिंग युक्त पोडियम, पोडियम पर लैपटाप की उपलब्धता करायी जानी होगी।

3.2.7 कान्फ्रेंस हॉल में मार्कर सहित स्टैण्ड युक्त व्हाईट बोर्ड की व्यवस्था

3.2.8 कान्फ्रेंस हॉल में दीप प्रज्वलन हेतु दीप स्टैन्ड आदि की व्यवस्था।

3.2.9 कान्फ्रेंस हॉल में 3–4 3–सीटर वी0आई0पी0 सोफा ग्लास टेबल सहित।

3.2.10 कान्फ्रेंस हॉल में प्रतिभागियों हेतु आवश्यकतानुसार पैक्ड मिनिरल वाटर 200एम0एल0 पानी की बोतलों की व्यवस्था।

3.2.11 कान्फ्रेंस हॉल में 5 प्लाज्मा/एल0ई0डी0 टीवी (कम से कम 65 इंच) तथा 01 प्लाज्मा/एल0ई0डी0 टी0वी मंच की ओर जो कि पोडियम में दिये गये लैपटॉप से कनेक्टेड रहेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

3.2.12 कान्फ्रेंस हॉल में 01 कॉलर माईक, 04 कार्डलैस माईक, 01 अतिरिक्त लैपटॉप

3.2.13 कान्फ्रेंस हॉल में कलर/ब्लैक एण्ड व्हाईट प्रिंटआउट की व्यवस्था

3.2.14 कान्फ्रेंस हॉल में बैकअप युक्त ऑडियो सिस्टम

3.2.15 कान्फ्रेंस हॉल में प्रत्येक सत्र की पूर्ण विडियो रिकार्डिंग व फोटोग्राफी (कार्यक्रम के उपरान्त पैन ड्राइव में उपलब्ध करायी जायेगी) आदि की व्यवस्था

3.2.16 कार्यक्रम स्थल के बाहर 02 से 03 स्टेन्डी की व्यवस्था

3.2.17 कार्यकम के दौरान पूर्वाह्न 11:00 बजे व अपराह्न 04:00 बजे हाई–टी की व्यवस्था। (चाय/कॉफी तथा कुकीज सहित)

3.2.18 कान्फ्रेंस हॉल में न्यूनतम 100 MBps स्पीडयुक्त वाई0फाई0 की सुविधा उपलब्धता

3.3 आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/विभागीय कार्यक्रमों हेतु कार्यालय स्थापित किये जाने हेतु एक अतिरिक्त कक्ष की उपलब्धता निःशुल्क कराया जायेगा।

3.4 **15 अथवा उससे अधिक कक्ष 02 दिवस के लिए आरक्षित किये जाने पर** आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/विभागीय कार्यक्रमों हेतु होटल/रिजोर्ट द्वारा परिसर में ही उपरोक्त सुविधा सम्पन्न कान्फ्रेन्स हॉल **निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।**

4. आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/विभागीय कार्यक्रमों में प्रतिभागियों हेतु कक्षों की व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यकम प्रारम्भ होने से एक रात्रि पूर्व (जिसकी सूचना प्रशिक्षण से पूर्व होटल/रिजोर्ट को उपलब्ध करा दी जायेगी) से प्रशिक्षण कार्यकम के समापन दिवस की आगामी तिथि के प्रातः काल तक की जानी होगी व प्रत्येक कक्ष में अनिवार्य रूप से 2 प्रतिभागी को ठहराने की व्यवस्था होटल/रिजोर्ट प्रबंधन द्वारा की जाएगी।

5. किसी कक्ष में केवल 1 विशिष्ट व्यक्ति को ही ठहरने के निर्देश मिशन कार्यालय स्तर से ही दिए जाने पर मान्य होंगे।

6. मिशन कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची की अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के ठहरने भोजन आदि एवं प्रतिभागियों द्वारा मिशन कार्यालय द्वारा होटल/रिजोर्ट को दिए गए वर्क आर्डर के अतिरिक्त किये गए किसी भी कियाकलाप/भोजन आदि का भुगतान मिशन कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

7. बिडर आवासीय कार्यक्रमों अथवा एक दिवसीय कार्यक्रमों (Non Resendial) अथवा दोनों प्रकार के कार्यक्रमों हेतु दरे BOQ के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

III. प्रतिभाग हेतु अनिवार्य अर्हता

1. होटल/रिजॉर्ट निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड तथा घण्टाघर देहरादून से अधिकतम 15 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत होना चाहिए।
2. प्राकृतिक वातावरण के निकट स्थापित रिजॉर्ट को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ पर शान्तिपूर्वक वातावरण में प्रशिक्षण संपादित कराये जाने में सुविधा प्राप्त हो।
3. होटल/रिजोर्ट में कार्य के विवरण के अन्तर्गत वर्णित सुविधायुक्त डबल बैड सहित कमसे कम 35 कमरे होने होने चाहिए।
4. होटल/रिजॉर्ट में टू–व्हीलर, फोर व्हीलर तथा बस पहुंचने की समुचित व्यवस्था हो।
5. होटल/रिजॉर्ट के परिसर में न्यूनतम 40 फोर व्हीलर की पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो।
6. होटल/रिजॉर्ट के पास परिसर में ही इनहाउस रैस्टोरेंट/डाइनिंग सेवायें उपलब्ध होना अनिवार्य है।
7. होटल/रिजॉर्ट पर्यटन विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीकृत हो।
8. आवासीय कार्यक्रमों हेतु दरें प्रस्तुत करने वाले होटल/रिजॉर्ट में योग सेवायें उपलब्ध होनी चाहिए व होटल/रिजॉर्ट योग सेवायें प्रदान किये जाने हेतु विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। यदि निविदा में प्रतिभाग किये जाने की तिथि तक उक्त होटल/रिजॉर्ट का पंजीकरण योग सेवायें दिये जाने हेतु नहीं कराया गया है तो होटल/रिजॉर्ट सेवायें प्रारम्भ किये जाने से पूर्व उक्त पंजीकरण कराये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र भी उपलब्ध करायेगा।
9. होटल/रिजॉर्ट का जी0एस0टी0 पंजीकरण हो।
10. होटल/रिजॉर्ट के पास fssai से प्रमाणपत्र प्राप्त हो।
11. होटल/रिजॉर्ट के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र हो।

12. होटल/रिजॉर्ट के पास गत 03 वर्ष में न्यूनतम 03 राजकीय/कॉरपोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाने का अनुभव हो, जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम में न्यूनतम 30 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया हो।

13. होटल/रिजॉर्ट का गत 03 वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन टर्नओवर 25 लाख न्यूनतम होना चाहिए।

14. होटल/रिजॉर्ट को किसी भी राजकीय संस्था/पी0एस0यू0 द्वारा ब्लेकलिस्ट न किया गया हो।

Scanned with OKEN Scanner

IV. निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्तें

1. निविदा में आवेदन करने वाले प्रतिभागी को ऑनलाइन आवेदन के साथ ही आफलाइन आवश्यक प्रपत्र समय पर जमा करवाने अनिवार्य होंगे।
2. निविदा टू बिड सिस्टम के माध्यम से सम्बन्धित सामग्री के मूल निर्माता, अधिकृत विक्रेता अथवा विक्रेताओं से आमंत्रित की जाती है।
3. निविदा दिनांक 29.08.2025 समय सायः 05:00 बजे से दिनांक 15.09.2025 को 5:00 बजे तक उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट https://uktenders.gov.in पर केवल ऑनलाईन ही भरी जा सकती है। ऑन लाईन बिड भरने हेतु फर्मो को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये DSC(digital signature certificate)की आवश्यकता होगी।
4. केवल ऑफ लाइन जमा की गयी बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. होटल/रिजोर्ट को चैकलिस्ट (संलग्नक– ....) के अनुसार समस्त प्रपत्र निविदा के साथ जमा कराने अनिवार्य होंगे। निविदादाता को ऑनलाइन बिड भरते समय संलग्नक **"क"** पर उपलब्ध चैक लिस्ट के अनुसार प्रपत्रों की स्कैन की हुई प्रतियां अनिवार्य रूप से ऑनलाईन अपलोड करनी होगी। समिति के सम्मुख केवल निविदादाता द्वारा स्कैन की हुई प्रतियां आनलाईन अपलोड प्रपत्रों को ही प्रस्तुत किया जायेगा। संलग्नक **"क"** पर उपलब्ध चैक लिस्ट में उल्लिखित प्रपत्र ऑन लाइन उपलब्ध न होने पर निविदा स्वीकार नही की जायेगी। ऑन लाइन के अतिरिक्त पृथक से कोई भी प्रपत्र स्वीकार नही किया जायेगा। निविदा से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अनिवार्य रूप से डाली जाय, तथा प्रपत्रों को संलग्नक **"क"** के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाय जिसमें पृष्ठ संख्या. ....से....... तक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय। सभी प्रपत्रों पर निविदा दाता के हस्ताक्षर एवं निविदाकर्ता फर्म की मुहर होनी चाहिए।
6. निविदादाता को ऑनलाईन बिड भरनें के अतिरिक्त समस्त प्रपत्रों का एक सैट, संलग्नक **"क"** चैक लिस्ट के अनुसार एक सील्ड लिफाफे में (**दिनांक** 15.09.2025 **को सायं 05:00 बजे** तक अनिवार्य रूप से) धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 तथा निविदा शुल्क के बैंक ड्राफ्ट के साथ सदस्य सचिव, स्टेट आयुष मिशन सोसायटी, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में जमा करानी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. **<u>निविदा शुल्क</u>** :निविदा शुल्क रू0 5000.00 निर्धारित है। निविदा शुल्क रूपये 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट **सदस्य सचिव स्टेट आयुष मिशन सोसाइटी, उत्तराखण्ड देहरादून** के पद नाम से जो देहरादून किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम से देय हो मूल रूप में दिनांक 15.09.2025 सांय 05:00 बजे तक कार्यालय **स्टेट आयुष मिशन सोसाइटी, उत्तराखण्ड देहरादून** में उपलब्ध कराया जायेगा।

8. **<u>धरोहर धनराशि</u>(EMD)**: निविदा में मांगी गई **धरोहर राशि रू0–200000.00 (रूपये दो लाखमात्र)** की एफ0डी0आर0 के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक द्वारा **सदस्य सचिव, स्टेट आयुष मिशन सोसाइटी, उत्तराखण्ड देहरादून** के नाम बन्धक हो, संलग्न कर मूल रूप में दिनांक 15.09.2025 को सायं 05:00 बजे तक कार्यालय प्रस्तुत की जानी है। धरोहर धनराशि निविदा ,खोलने की तिथि से कम से कम 06 माह के लिये वैध होनी चाहिए असफल(अनर्ह) निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदाओं की अस्वीकृत के तुरन्त बाद उन्हे वापस की दी जायेगी। धरोहर धनराशि के पृष्ठ भाग में फर्म का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करनें होगे।

9. बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर धनराशि की FDR तथा निविदा शुल्क का ड्राफ्ट मूल रूप में दिनांक 15.09.2025 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय **सदस्य सचिव, स्टेट आयुष मिशन सोसाइटी, उत्तराखण्ड देहरादून** में जमा करनें होंगे।

10. तकनीकी निविदा सफल घोषित करनें के बाद तथा होटल/रिजोर्ट के भौतिक निरीक्षण में समिति की संतोष जनक आख्या प्राप्त होने के उपरान्त, वित्तीय निविदा खोलनें की तिथि ऑन लाईन घोषित की जायेगी।

11. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं कों किसी भी समय बिना किसी कारण निरस्त करनें का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष क्रय समिति/ **सदस्य सचिव स्टेट आयुष मिशन सोसाइटी, उत्तराखण्ड देहरादून** में सुरक्षित रहेगा।

12. **होटल/रिजोर्ट की निविदा दरें 2 वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगी।**

13. <u>टर्न ओवर</u>– विगत तीन वर्षो (2022–23, 2023–24, 2024–25) का टर्न ओवर न्यूनतम 25.00 लाख औसतन प्रतिवर्ष होना चाहिए, जा रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा (एक पेज में) प्रमाणित होना चाहिए। तीनों वर्षो का टर्न ओवर अलग–अलग दर्शाया जाना होगा।

14. बिडर द्वारा भोजन व कक्षों की दरें प्रतिव्यक्ति/प्रतिकक्ष के सापेक्ष दी जायेगीं। जो की विभाग द्वारा समय–समय पर कराये जाने वाले प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों हेतु मान्य होंगी।

15. सर्वप्रथम बिडर द्वारा जमा की गयी तकनीकी निविदा का परीक्षण किया जायेगा। तदोपरान्त तकनीकी निविदा में सफल बिडर्स का भौतिक निरीक्षण कराया जायेगा। **संलग्नक "ख"** में वर्णित भौतिक निरीक्षण चैकलिस्ट पर निरीक्षण के उपरान्त 100 में ये 51 अथवा 51 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले होटल/रिजॉर्ट को ही वित्तीय निविदा खोले जाने हेतु अर्ह माना जायेगा। 51 से कम अंक प्राप्त करने वाले होटल/रिजॉर्ट को अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

16. वित्तीय निविदा में आवासीय कार्यक्रमों हेतु बिडर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रति कक्ष की दरों तथा ब्रेकफॉस्ट, लंच व डिनर की प्रतिव्यक्ति की दरों को सामूहिक रूप से जोड़ते हुए न्यूनतम दरें देने वाले बिडर को आवासीय कार्यक्रमों हेतु एल–1 चयनित किया जायेगा। तथा वित्तीय निविदा में एक दिवसीय कार्यक्रमों (Non Resendial) हेतु बिडर द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रति कक्ष की दरों, समस्त सुविधासम्पन्न कान्फ्रेन्स हॉल की दरों, लंच की प्रतिव्यक्ति की दरों को सामूहिक रूप से जोड़ते हुए न्यूनतम दरें देने वाले बिडर को एक दिवसीय कार्यक्रमों (Non Resendial) हेतु एल–1 चयनित किया जायेगा।
17. एल–1 द्वारा किसी विशिष्ट कारणवश सेवायें उपलब्ध कराये जाने में अक्षम होने पर एल–2 को एल–1 की दरों पर सेवायें उपलब्ध कराये जाने पर अनुरोध करते हुए सहमति की दशा में कार्यादेश दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
18. वित्तीय निविदा संलग्नक "ग" के प्रारूप के अनुरूप ऑनलाईन पोर्टल पर BOQ के माध्यम से ही प्रस्तुत की जायेगी।
19. ऑनलाईन पोर्टल पर 2 BOQ Sheet दी गयी है। विडर दोनों या किसी एक BOQ को भरने के लिए स्वतंत्र हैं। BOQ के माध्यम से प्राप्त दरो का मूल्यांकल विभागीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा ऑनलाइन जनरेटेड एल–1 मान्य नहीं होगा। समिति द्वारा संस्तुत वित्तीय मूल्यांक सीट को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा।
20. **<u>शपथ पत्र</u>** :प्रपत्र "घ", ''च'' तथा ''छ'' (वैकल्पिक) लिये 100 रूपये के स्टम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र अन्य प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन तथा ऑफलाईन जमा कराये जाने होंगे।
21. चयनित बिडर चयन होने के उपरान्त अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करने के साथ ही रू0 2,00,000 (दो लाख मात्र) की परफोरमेन्स सिक्योरिटी एफ0डी0आर0 के रूप में सदस्य सचिव के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करायेगा, जिसे अनुबन्ध समाप्ति के 02 माह के पश्चात ही बंधन मुक्त किया जायेगा। साथ ही बिडर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त एफ0डी0आर0 की वैद्यता न्यूनतम 2.5 वर्ष की होगी।
22. यदि कार्य के दौरान भोजन आदि गुणवत्ता युक्त नही पायी जाती है अथवा रहनें के व्यवस्था संतोष जनक ढंग नही नही की जाती है तो ऐसी दशा में निविदा दाता/प्रबन्धक को गुणवत्ता युक्त भोजन की व्यवस्था तथा ठहरनें हेतु तत्काल उचित व्यवस्था करनी होगी ऐसा न करनें पर अथवा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पायी जाती है तो निविदा दाता/प्रबन्धक द्वारा बन्धक के रूप से रखी गयी परफोरमेन्स सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी तथा होटल/रिजोर्ट के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा होटल/रिजोर्ट को ब्लैकलिस्टेड किया जायेगा।
23. किसी भी प्रकरण के वाद में अन्तिम निर्णय **सदस्य सचिव स्टेट आयुष मिशन सोसाइटी, उत्तराखण्ड देहरादून** का मान्य होगा तथा वाद का क्षेत्र देहरादून/जिला स्तरीय न्यायालय, देहरादून होगा।

Scanned with OKEN Scanner

24. **माध्यस्थम खंड (ARBITATOR)** यदि इस निविदा के अधीन या निविदा के निबंधनों और शर्तों के निर्वसन के संबध में केता और निविदादाता के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो माध्यरथम के रूप में कार्य करने के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति का निर्णय इस निविदा के दोनो पक्षकारो के लिए अंतिम रूप से बाध्यकारी होगा। **ARBITATOR** उपलब्ध करानें हेतु सदस्य सचिव, स्टेट आयुष मिशन सोसायटी, उत्तराखण्ड की कोई जम्मेदारी नही होगी।

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
सदस्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक (क)—निविदा के साथ अपलोड/जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की चैक लिस्ट

मैसर्स ....

फर्म का नाम व पता :—...

....

क्र0 सं0	निविदा प्रपत्र तथा निम्नानुसार प्रपत्रों को अपलोड किया जाना अनिवार्य है।	पृष्ठ संख्या....... से ....तक
1	फर्म का सामान्य विवरण (निविदा के कवर पेज के रूप में) प्रपत्र ''ज'' के अनुसार	
2	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं विगत तीन माह जी0एस0टी0 रिर्टन की प्रमाणित प्रति।	
3	होटल/रिजोर्ट का पैन नम्बर एवं गत तीन वर्षो की आई0टी0आर0 की प्रमाणित प्रति।	
4	होटल/रिजोर्ट उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पंजीकरण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छाया प्रति।	
5	भोजन सेवाओं सम्बन्धी fssai के पंजीकरण की प्रमाणित प्रति	
6	अपुणी सरकार पोर्टल पर योग सेवायें सम्बन्धी पंजीकरण की प्रमाणित प्रति अथवा संलग्नक ''छ'' के अनुसार शपथ पत्र रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर	
7	निविदा में उल्लिखित नियम व शर्तें के अनुसार आपूर्ति करने हेतु सहमति पत्र (संलग्नक"घ"के अनुसार) नोटरी द्वारा प्रमाणित**रू0—100.00 स्टाम्प पेपर पर सहमति प्रपत्र पर)**	
8	ब्लेकलिस्ट न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित (**संलग्नक "च"के अनुसार रू0— 100.00 स्टाम्प पेपर पर**)	
9	विगत तीन वर्षो (2022—23, 2023—24, 2024—25) का टर्न ओवर न्यूनतम 25.00 लाख औसतन प्रतिवर्ष होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए की प्रमाणित प्रति।	
10	होटल/रिजॉर्ट के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र हो।	
11	होटल/रिजॉर्ट के पास गत 03 वर्ष में न्यूनतम 03 राजकीय/कॉरपोरेट प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाने का अनुभव	
12	धरोहर धनराशि रू0 200000.00 का FDR जो कि सदस्य सचिव, स्टेट आयुष मिशन सोसायटी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में बन्धक हो।	
13	निदेशालय एवं घण्टाघर से दूरी सम्बन्धी गूगल मैप की स्वप्रमाणित प्रति	
14	निविदा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट।	

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक "ख" – भौतिक निरीक्षण चैकलिस्ट (Physical Inspection Checklist)

A. Location & Accessibility – 15 Marks		
Inspection Criteria	Max. Marks	Obtained Marks
Distance within 15 km from Directorate & Clock Tower	5	
Approachability by 2-wheeler/4-wheeler/bus	5	
Resort-type property near nature, peaceful environment	5	
B. Conference Hall Facilities – 25 Marks		
Seating capacity for 80+ participants	5	
AC/heating with 24x7 power backup	5	
Stage, podium, lamp-lighting, backdrop, beautification	5	
Sound system: podium mic, 2 cordless mics, 1 collar mic	5	
Visual display: 4–6 LED TVs (65"+) & 1 LED(55") facing stage	5	
C. IT & Support Facilities – 15 Marks		
WiFi speed: 100 Mbps in hall, 50 Mbps in rooms	5	
Colour printer with paper & printing facility	3	
Whiteboard with markers & stand	2	
Photography & videography arrangements with 5-year access	5	
D. Accommodation Facilities – 20 Marks		
Minimum 35 rooms on twin-sharing basis	5	
In-room facilities: AC/heating, 24x7 water, WiFi, toiletries, desk, chair, kettle	5	
Daily housekeeping, female staff for women participants	5	
Dining hall capacity for 80 participants	5	
E. Food & Beverages – 15 Marks		
Breakfast menu variety & quality	5	
Lunch menu variety & quality	5	
Dinner menu including Uttarakhand traditional dish & dessert	5	
F. Parking & Premises – 10 Marks		
Parking for minimum 40 vehicles	5	
Clean, disturbance-free premises with proper maintenance	5	
Total: 100 Marks		
Hotels scoring less than 51 marks shall be disqualified technically.		

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक "ग" वित्तीय निविदा का प्रारूप

आवासीय कार्यक्रमों हेतु

SN o	Item	Quantity	Rate	GST	Rate With Tax
1	Air-Conditioned Room on a Double occupancy basis per day for residential programs.	01			
2	Breakfast Per Person per day for residential programs.	01			
3	Lunch Per Person per day for residential programs.	01			
4	Dinner Per Person per day for residential programs.	01			
Total (Will be used for final assessment of L-1 bidder)					

एक दिवसीय कार्यक्रमों हेतु

SN o	Item	Quantity	Rate	GST	Rate With Tax
1	Air-Conditioned Room for departmental guest on a Double/Single occupancy basis per day (24 hours checkout, breakfast included) for one day non residential program	01			
2	Lunch Per Person per day for one day non residential program	01			
3	**Conference Hall Charges per day (with all facilities and services mentioned in terms and conditions) for one day non residential program**	01			
Total (Will be used for final assessment of L-1 bidder)					

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र"घ"

(100.00 रूपये के स्टांम्प पर)

निविदा में उल्लिखित नियम एवं शर्तो के अनुसार कार्य सम्पादित करनें की सहमति का अनुबन्ध पत्र

सेवामें,

सदस्य सचिव,
स्टेट आयुष मिशन सोसायटी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय,

सदस्य सचिव, स्टेट आयुष मिशन सोसायटी, उत्तराखण्ड, देहरादून की विज्ञप्ति संख्या..............................दिनांक.. ....के सन्दर्भ में जो कि सदस्य सचिव, स्टेट आयुष मिशन सोसायटी, उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत आयोजित विभागीय प्रशिक्षण/कार्यकमों में प्रतिभागियों हेतु कक्ष, कान्फेंस हॉल, भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, के कार्य सम्पादन हेतु प्रासारित निविदा में उल्लिखित नियम व शर्ते मैने भली भांति पढ़ ली हैं, जिसके आधार पर मै उक्त कार्य के निष्पदान हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। विभाग द्वारा प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों हेतु यदि 15 व उससे अधिक कक्ष 02 दिवस के लिए भोजन सहित आरक्षित किये जाते हैं तो मेरे द्वारा समस्त सुविधासम्पन्न कांफेन्स हॉल व उक्त से सम्बन्धित सेवायें (निविदा की **बिन्दु संख्या 3.1 से लेकर 3.3 तक** वर्णित समस्त सेवायें) निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी। साथ ही धरोहर राशि के रूप में रू0 .... (रू0 .... मात्र) एफ0डी0आर0 संख्या ....दिनांक......................................बैंक.. संलग्न है। यदि मेरे/मेरी फर्म द्वारा निविदा की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है अथवा मेरे/मेरी फर्म द्वारा प्रशिक्षण/कार्यकम हेतु नियमानुसार उचित प्रबन्धन नही किया जाता है अथवा कार्य में किसी भी प्रकार की कमी/शिथिलता पायी जाती है तो मेरे द्वारा प्रस्तुत परफॉरमेंस सिक्योरिटी को सदस्य सचिव, स्टेट आयुष मिशन सोसायटी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में जब्त कर लिया जाता है तो इसका उत्तरदायित्व स्वयं मेरा/हमारा होगा साथ होटल/रिजोर्ट को ब्लैक लिस्टिड करने की कार्यवाही किये जाने के लिये विभाग स्वतंत्र होगा, इस पर फर्म को कोई आपत्ति नही होगी। **हमारे द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरें बाजारी दरों से अधिक नहीं है।**

दिनांकः ....

स्थानः.....................

हस्ताक्षर ....
नाम..
सील..

संलग्नक–"च" फर्म को Blacklist नहीं किये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र का प्रारूप

मै/हम मैसर्स-- एतदद्वारा सदस्य सचिव, स्टेट आयुष मिशन सोसायटी, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा प्रशिक्षण व्यवस्था हेतु प्रसारित निविदा संख्या .... दिनांक ....के क्रम में की आपूर्ति सेवाओं के सम्बन्ध में घोषित करता हूँ/करते है कि हमारी फर्म बेदाग है। असंतोष जनक प्रदर्शन, सामान्य या विशिष्ट निर्देशों के उल्लंघन, भ्रष्टाचार/धोखाधडी या अन्य किसी अनैतिक व्यापार प्रथाओं के कारण केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सी0पी0एस0यू0/पी0एस0यू0 के द्वारा फर्म को कभी भी अपात्र घोषित नही किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि होटल/रिजोर्ट का किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नही है। होटल/रिजोर्ट को राज्य के किसी भी विभाग द्वारा ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि जब्त की गयी है।

दिनांक–

स्थान–

हस्ताक्षरकर्ता ....

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम ....

फर्म का नाम ....

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक ''छ'' अपुणी सरकार पोर्टल पर योग सेवायें हेतु पंजीकरण किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र का प्रारूप (रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर)

मै/हम मैसर्स-- एतदद्वारा सदस्य सचिव, स्टेट आयुष मिशन सोसायटी, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा प्रशिक्षण व्यवस्था हेतु प्रसारित निविदा संख्या .... दिनांक ....के क्रम में की घोषित करता हूँ/करते है कि हमारी फर्म द्वारा निविदा के अन्तर्गत विभाग को सेवायें दिये जाने से पूर्व अपुणी सरकार पोर्टल पर योग सेवायें दिये जाने सम्बन्धी पंजीकरण करा लिया जायेगा। यदि मेरे द्वारा उक्त पंजीकरण नहीं किया जाता है तो विभाग को मेरी फर्म का चयन निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा, जिस हेतु मेरी फर्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जायेगा।

दिनांक–

स्थान–

हस्ताक्षरकर्ता ....

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम ....

फर्म का नाम ....

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक "ज"

प्रतिभागी फर्म का सामान्य विवरण–

1	फर्म का नाम व पता–	
2	फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन संख्या	
3	फर्म का आयकर **PAN**–	
4	धरोहर राशि की धनराशि	

धरोहर राशि का विवरण–

बैंक का नाम	F.D.Rसंख्या	दिनांक	धनराशि

निविदादाता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि का नाम..

दूरभाष संख्या ....

मोबाईल नम्बरः ....

Scanned with OKEN Scanner